

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

(1) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1326/2009

URN: CMA / 1550U / 2009

Ashok Kotecha S/o Shri Ram Lal Kotech,a Age 60 years, R/o Street No. 4, Thakkar Plot, Porbandar, Gujrat Presently residing at 195, Abbotts Drive, Wembley, Middlesex, HAO 3SH Great Britain [Landon]; through Power of Attorney Holder Mr. Pawan Gupta S/o Shri Makhan Lal Gupta, R/o Gulabura, District Bhilwara (Rajasthan) presently residing at A-12] Sector-1, Noida.

----Appellant-Claimant

Versus

1. Kuldeep Singh S/o Shri Roshan Singh Valia, R/o S.S. Vishal Nagar, Police Station Modal Town, Dehradun (Uttarakhand)
2. J.P. Singh S/o Joginder Singh, R/o National Road Lines, Jhajjar Road, Haryana
3. The New India Insurance Company Ltd., Through Regional Manager, Shanti Mansion, Sadar Kotwali, Ajmer

----Respondents/Non-Claimants

Connected With

(2) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1315/2009

URN: CMA / 1539U / 2009

Urmila Kotecha W/o Shri Ashok Kotecha, Age 58 years, R/o Street No. 4, Thakkar Plot, Porbandar, Gujrat, Presently Residing At 195, Abbotts Driver, Wembley, Middlesex, HAO 3SH Great Britain [London]; Through Power Of Attorney Holder Mr. Pawan Gupta S/o Shri Makhan Lal Gupta, R/o Gulabpura, District Bhilwara (Rajasthan) Presently Residing At A-12, Sector-1, Noida.

----Appellant-Claimant

Versus

1. Kuldeep Singh S/o Shri Roshan Singh Valia, R/o S.S. Vishal Nagar, Police Station Modal Town, Dehradun Uttarakhand
2. J.P. Singh S/o Joginder Singh, R/o National Road Lines,

Jhajjar Road, Haryana

3. The New India Insurance Company Ltd. Through Regional Manager, Shanti Mansion, Sadar Kotwali, Ajmer

-----Respondents/Non-Claimants

For Appellant(s) : Mr. Rohit Tiwari, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Sanjay Singhal, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

06/07/2026

1. अपीलार्थी अशोक कोटेचा की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या-1326/2009 एवं अपीलार्थिया उर्मिला कोटेचा की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या-1315/2009, दोनों दीवानी विविध अपीलें धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, अजमेर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-73/2005 (439/2003), अशोक कोटेचा बनाम कुलदीप सिंह व अन्य में तथा क्लेम याचिका संख्या-78/2005 (434/2003), श्रीमती उर्मिला कोटेचा बनाम कुलदीप सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त दोनों अपीलों एक ही दुर्घटना से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण सुविधा की दृष्टि से इस एक निर्णय के द्वारा एक साथ किया जा रहा है।

2. अपीलार्थी अशोक कोटेचा द्वारा अधिकरण के समक्ष मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 45,65,000/- रुपये तथा अपीलार्थिया उर्मिला कोटेचा द्वारा अधिकरण के समक्ष मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 1,32,20,234/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिकाएं प्रस्तुत की गयी हैं। अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिकाओं का निस्तारण करते हुए अपीलार्थी अशोक कोटेचा को कुल 70,403/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि तथा अपीलार्थिया उर्मिला कोटेचा को

कुल 94,203/— रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 6 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। अधिकरण के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी अशोक कोटेचा तथा अपीलार्थिया उर्मिला कोटेचा की ओर से उक्त अपीलें क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी हैं।

3. **अपील संख्या—1326/2009** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी अशोक कोटेचा की कोई आय निर्धारित नहीं कर त्रुटि कारित की गयी है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख—सुविधा की कमी की मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा के मद में अत्यंत कम राशि दिलवाई गई है व अन्य मदों में भी कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया जाकर जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसी प्रकार **अपील संख्या—1315/2009** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का तर्क रहा है विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया उर्मिला कोटेचा की मासिक आय 3,000/— रुपये निर्धारित कर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि वक्त घटना अपीलार्थिया ग्रेट ब्रिटेन, लंदन में टैक्सटाइल एजेंसी का व्यवसाय कर 9,651.45/— पोण्ड, भारतीय मुद्रा में 6,65,602/— रुपये वार्षिक आय अर्जित करती थी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख—सुविधा की कमी तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा के मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है व अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए व्यक्त किया कि अपीलार्थिया उर्मिला कोटेचा को कारित 10 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता संपूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में

नहीं है, अतः विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपीलों को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावलियों व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

7. दोनों अपीलों का निम्नानुसार निस्तारण किया जा रहा है।

अपील संख्या—1326/2009 :-

8. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 23.02.1998 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी अशोक कोटेचा को 55 वर्ष की आयु का होना बताते हुए दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप 12 महीने तक काम पर नहीं जाना बताया है किंतु वर्तमान में 12,000/— ग्रास पोण्ड, भारतीय मुद्रा में 10,00,000/— रुपये वार्षिक मिलना बताया है। अपीलार्थी द्वारा अपनी आय तथा स्थायी निर्योग्यता का कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इससे प्रकट होता है कि अपीलार्थी के शरीर पर कोई स्थायी निर्योग्यता कारित होना नहीं पाया गया है। अतः अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय में कोई कमी होने की संभावना नहीं है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को निर्योग्यता व आय अर्जन की कमी साबित होना नहीं माना है। विद्वान अधिकरण द्वारा निकाले गये उक्त निष्कर्ष में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को अस्पताल में भर्ती रहने की मद में कुल 19,000/— रुपये, शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 25,000/— रुपये तथा नोटिस तामील की मद में 26,403/— रुपये की राशि दिलवाई गई है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

10. मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी के 2 साधारण चोटें कारित हुई हैं। अतः हम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक साधारण चोट हेतु 2,500/— रुपये की दर से $2,500 \times 2 = 5,000/-$ की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को यातायात व परिवहन की मद में कोई राशि नहीं दिलवायी गयी है। अतः उक्त मद में हम अपीलार्थी को 10,000/- रुपये की राशि पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट अशोक कोटेचा निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है :-

क्रम संख्या	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	19,000/- रुपये
2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	25,000/- रुपये
3.	नोटिस तामील की मद में	26,403/- रुपये
4.	2 साधारण चोटों की मद में	5,000/- रुपये
5.	यातायात व परिवहन व्यय की मद में	10,000/- रुपये
6.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	85,403/- रुपये
7.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	70,403/- रुपये
8.	बढ़ोतरी पश्चात् क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	15,000/- रुपये

13. तदनुसार उक्त **अपील संख्या-1326/2009** आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी को **70,403/- रुपये** दिलवाये जाने का निर्णय पारित किया गया है, के स्थान पर **85,403/- रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है।

अपील संख्या-1315/2009 :-

14. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 23.02.1998 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थिया को ग्रेट ब्रिटेन, लंदन में टैक्सटाइल एजेंसी का व्यवसाय कर 9,651.45/- पोण्ड, भारतीय मुद्रा में 6,65,602/- रुपये वार्षिक आय अर्जित करना बताया गया है तथा मामले की दुर्घटना में अपीलार्थिया को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 10 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदर्श-38 के अवलोकन से स्पष्ट है। अपीलार्थिया की आय व स्थायी निर्योग्यता के संबंध में विद्वान अधिकरण द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रार्थिया ने अपनी आय का प्रमाण पत्र प्रदर्श-40 में 1997-98 में आयकर काटने के बाद 8,039/- पोण्ड आय बतायी है तथा

स्वयं की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श-30 पेश किया है, जिसमें व्यवसाय (Occupation) के कॉलम में बेरोजगार (Unemployed) यानि कोई काम नहीं करना दर्शाया गया है, इस प्रकार विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त दोनों दस्तावेज विरोधाभास होने के कारण वक्त घटना अपीलार्थिया की 53 वर्ष की आयु को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थिया की मासिक आय 3,000/- रुपये निर्धारित की गई। इस संबंध में हमारा मानना यह है कि अपीलार्थिया द्वारा क्लेम याचिका में स्वयं का कार्य करना व उसका कोई नियोजक नहीं होना अंकित किया गया है, जबकि अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत सैलेरी सर्टिफिकेट प्रदर्श-41 Kajaine Limited द्वारा जारी किया गया है, परंतु उक्त दस्तावेज के संबंध में कोई ठोस मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, किंतु इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि वक्त घटना अपीलार्थिया कोई आय अर्जित नहीं करती हो। ऐसी स्थिति में अपीलार्थिया को आय की क्षति होना स्वाभाविक है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हम अपीलार्थिया को दुर्घटना में कारित चोटों के फलस्वरूप होने वाली आय की क्षति की मद में एकमुश्त 2,00,000/- रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

15. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को 3 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 3,000/- रुपये, मेडिकल बिलों की मद में कुल 25,500/- रुपये तथा नोटिस तामील की मद में 26,403/- रुपये की राशि दिलवाई गई है, अतः उक्त मदों में दिलवाई गई राशि में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

16. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी की मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। अतः हम अपीलार्थिया को उक्त मदों में संयुक्त रूप से 40,000/- रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

17. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को परिवहन व यातायात तथा पौष्टिक आहार की मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। अतः हम

अपीलार्थिया को उक्त मदों में संयुक्त रूप से 20,000/— रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

18. उक्तानुसार अपीलार्थिया/क्लेमेंट उर्मिला कोटेचा निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी है :—

क्रम संख्या	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	भविष्य में होने वाली आय अर्जन की क्षमता में कमी के मद में	2,00,000/— रुपये
2.	3 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	3,000/— रुपये
3.	मेडिकल बिलों की मद में	25,500/— रुपये
4.	नोटिस तामील की मद में	26,403/— रुपये
5.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा में कमी की मद में	40,000/— रुपये
6.	परिवहन एवं यातायात पर व्यय हुई राशि तथा पौष्टिक आहार की मद में	20,000/— रुपये
7.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	3,14,903/— रुपये
8.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	94,203/— रुपये
9.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	2,20,700/— रुपये

19. तदनुसार उक्त **अपील संख्या—1315/2009** आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थिया को **94,203/— रुपये** दिलवाये जाने का निर्णय पारित किया गया है, के स्थान पर **3,14,903/— रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है।

20. अपीलार्थी अशोक कोटेचा तथा अपीलार्थिया उर्मिला कोटेचा द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थिया उर्मिला प्राप्त करने की अधिकारी पायी जाती है।

21. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी अशोक कोटेचा तथा अपीलार्थिया उर्मिला कोटेचा 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

22. अपीलार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी।

23. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाया जावे।
24. तदनुसार यह अपीलें निस्तारित की जाती है।
25. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J